

CNR NO UPDE 0100 3413 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP02016

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1383/2026

आदर्श दूबे पुत्र उग्रसेन दूबे

साकिन- अमवा हिरामन दूबे, थाना- बघौचघाट, जिला- देवरिया।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 16/2026,

धारा- 319(2),318(4),317(5),336(3),338,

340(2),61(2)A भा.न्या.सं. व 66C, 66D IT Act

थाना- साइबर क्राईम, जनपद-देवरिया।

-निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र-

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त आदर्श दूबे, जो मुकदमा अपराध संख्या- 16/2026, धारा- 319(2),318(4),317(5),336(3), 338,340(2),61(2)A भा.न्या.सं. व 66C, 66D IT Act, थाना- साइबर क्राईम, जनपद- देवरिया के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता- उग्रसेन दूबे द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा थाना- साइबर क्राईम, जिला- देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि वह दिनांक 12.07.2026 को मय हमराहियान एन.सी.आर.पी. व समन्वय पोर्टल पर प्राप्त संदिग्ध खातों जिनमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पर कुल प्राप्त साइबर फ्राड के जरिये अर्जित की गयी राशि की शिकायतों के संबंध में संदिग्ध खाताधारकों का पता जरिये मुखबीर खास लगाया गया। जिसके बताने पर चीनी मिल ग्राउंड के पास से कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया पकड़े गये अभियुक्तों ने अपना नाम अमित कुमार गौतम, सुजीत उर्फ मुन्ना, अभिज्ञान प्रकाश, गौरव जायसवाल, आदर्श दूबे, दीपू उर्फ आदित्य यादव बताया। अभियुक्त अमित कुमार गौतम द्वारा बताया गया कि उसने खाता संख्या 3307337470 सुजीत उर्फ मुन्ना, जो कि उसका पड़ोसी है को 10 हजार रुपये में बेच दिया था तथा अपने रिश्तेदार दीपू को 5-10 हजार के बदले में खाते दिये थे, दोनों खातों में से एक खाता उसकी मौसी संध्या देवी तथा दूसरा खाता भाई आदित्य गौतम का है। जब उसने दीपू को खाता दिया था तब आदर्श भी उसके साथ था। अभियुक्त अमित गौतम की जामा तालाशी से मोटरोला रंग सी ग्रीन व 520/- रुपये बरामद हुए। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति मुन्ना ने पूछताछ में बताया कि उसने अमित से खाते लिए

थे और उसने अपना खाता भी अभिज्ञान पुत्र चन्द्रमा को बेचा था। अभिज्ञान अन्य लोगों से भी खाता खरीदता व बेचता है। मुन्ना की जामा तलाशी से उसके पास से विवो का फोन एवं 13100/- रुपया बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति अभिज्ञान प्रकाश ने बताया कि उसने अमित व मुन्ना से खाते लिए थे जिसको उसने अन्य लोगों को बेचा था पूछताछ के दौरान इस अभियुक्त ने बताया कि उसका काम तो बस लोगों से खाता खरीदने का है। खाता खरीद कर वह दीपू, करन, रितेश, राहुल एवं जितेन्द्र को बेच देता था। जिनके कहने पर इनके द्वारा मंगवाया हुआ पैसा ए.टी.एम. से कैश या चेक विड्राल कर कमीशन काट कर शेष पैसा इन लोगों को दे देता था, जिससे उसे हर खाते से पांच-दस हजार रुपया कमीशन के रूप में मिलते थे। कई बार इनके कहने पर वह खूद भी ए.टी.एम. से पैसा निकालता था, जिसका उसे अलग से कमीशन मिलता था। अभिज्ञान द्वारा यह भी बताया गया कि मुन्ना जैसे अन्य लोग भी थे जो उसे खाता सप्लाई करते थे। अभिज्ञान की जामा तलाशी से उसके पास से दो अदद मोबाईल, दो अदद ए.टी.एम. कार्ड, दो पासबुक व एक अदद वी.आई. का सिम तथा दो अदद आधार कार्ड बरामद हुआ, जो कूटरचित है, जिसका प्रयोग एजेन्टों से मिलकर खाता खुलवाने के लिए करते हैं तथा अपनी पहचान छिपाने के लिए भी करते हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह भी बताया कि उसने आधार कार्ड स्वयं तैयार किया है। पकड़े गये चौथे व्यक्ति गौरव जायसवाल ने भागने वाले व्यक्ति का नाम दीपू उर्फ आदित्य पुत्र कमला यादव, निवासी रजला थाना कोतवाली जिला देवरिया बताया तथा आगे यह भी बताया कि उसने एस.बी.आई. में खाता खुलवाया था, उसके खाते में आदर्श दूबे व दीपू द्वारा तीन बार में 23,00,000/- रुपया मंगवाया गया था। उस पैसे को उसने आदर्श दूबे व दीपू के साथ बैंक में जाकर चेक विड्राल कर उसमें से अपना कमीशन काट कर आदर्श व दीपू को दे दिया करता था। दीपू कई साल से अन्य लोगों के खाते में पैसा मंगाता था और उनसे चेक विड्राल के माध्यम से पैसे ले लिया करता था। पकड़े गये पाँचवे व्यक्ति आदर्श दूबे की जामा तलाशी से 02 अदद मोबाईल, 02 पासबुक एवं 02 ए.टी.एम. कार्ड बरामद हुआ। आदर्श दूबे ने बताया कि पैसा मंगाने का काम दीपू व राहुल करते हैं वह तो बस खाते इन तक पहुँचाता था व कभी-कभी इनके साथ जाकर खाता धारकों से पैसा लेकर आता था, जो भी पैसा आता था उसे दीपू व राहुल किसी दूसरे व्यक्ति से कैश देकर उससे यू.एस.डी.टी. क्रिप्टो करेंसी लेते थे। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की माँग की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जनता के किसी व्यक्ति ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत दर्ज नहीं कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट आपराधिक भूमिका होना या उक्त घटना की तारीख समय व स्थान का भी कोई कथन नहीं किया गया है। तथाकथित फर्द बरामदगी की कहानी स्वयं में यह ध्वित कर रही है कि प्राकृतिक नहीं है। फर्द बरामदगी स्वयं अन्तर्विरोधों से भरी पड़ी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही उसका कोई जनसाक्षी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये सभी धाराओं का कोई अपराध गठित नहीं

होता। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर बेइमानी पूर्वक आशय से कूटरचित प्रपत्र (आधार कार्ड इत्यादि) तैयार कर उनका दुरुपयोग कर बैंक में खाता खुलवाना व अन्य कई लोगों को प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर फ्राड के जरिये रुपयों को मंगाने में प्रयोग करने तथा इस हेतु कमीशन का लेन देन करने का अपराध किया गया है। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर बेइमानी पूर्वक आशय से कूटरचित प्रपत्र (आधार कार्ड इत्यादि) तैयार कर उनका दुरुपयोग कर बैंक में खाता खुलवाना व अन्य कई लोगों को प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर फ्राड के जरिये रुपयों को मंगाने में प्रयोग करने तथा इस हेतु कमीशन का लेन देन करने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 भा.ना.सु.सं. में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है तथा अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों से प्रश्रुत खातों में धनराशि मंगाये जाने एवं उनका प्रयोग साइबर क्राइम करने में किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/ अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में किए गए कथन साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुए, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आदर्श दूबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

sd/-

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)

सत्र न्यायाधीश,

देवरिया।

दिनांक:- 27.07.2026